भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 696

12.12.2022 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट का प्रबंधन

696. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री विजय बघेल:
श्री संगम लाल गुप्ता:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में हर साल उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट के पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्पादित ई-अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) ई-अपशिष्ट के संग्रहण के आधार पर अनुमानित दुष्प्रभावों के प्रकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का ई-अपशिष्ट को कम करने के लिए फोन हेतु राष्ट्रव्यापी समान चार्जिंग वायर नियम लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देशव्यापी विक्रय डेटा और अधिसूचित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के प्रयोग की औसत अवधि के

आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाया जाता है। विक्रय और ई-अपशिष्ट सृजन के संबंध में राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में इक्कीस (21) प्रकार के ईईई से क्रमश: 10,14,961.21 टन और 13,46,496.31 टन ई-अपशिष्ट सृजन का अनुमान लगाया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश में ई-अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए कुल 474 प्राधिकृत विघटन / पुनर्चक्रण इकाइयां हैं जिनकी समेकित प्रसंस्करण क्षमता 14,42,561.22 टन है।

(घ) : ई-अपशिष्ट के संग्रहण के दुष्प्रभावों का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। ऐसे विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनकी प्रयोग की अवधि समाप्त हो गई है, स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यदि उन्हें घरों/गोदामों में सुरक्षित तरीके से संगृहीत करके रखा जाता है। तथापि, सामग्री निकालने हेतु उन्हें अवैज्ञानिक तरीके से संभालने और प्रसंस्कृत करने से स्वास्थ्य के लिए जोखिम और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

(ड.) : वर्तमान में देश में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है। अनुसूची-I में यथा-सूचीबद्ध अधिसूचित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत के तहत ई-अपशिष्ट का वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान करने की जिम्मेदारी है। ईपीआर व्यवस्था के तहत ईईई के विक्रय अथवा पूर्व में बेचे गए ईईई से उत्पन्न अपशिष्ट, जो भी स्थिति हो, के आधार पर ईईई के उत्पादकों के लिए प्रति वर्ष ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा पूर्व के नियमों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और 2 नवम्बर, 2022 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं जो दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की उन्नत व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें सभी विनिर्माताओं, उत्पादकों, नवीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रकों के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकृत निकायों के लिए

विनिर्माण डेटा, विक्रय डेटा, अपशिष्ट सृजन, सेवा प्रदाताओं के साथ करारों, आरओएचएस अनुपालन और नवीकृत/पुनर्चक्रित अपशिष्ट आदि का ब्यौरा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी निकाय को किसी अपंजीकृत निकाय के साथ लेन-देन करने और पंजीकरण के बिना व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। नए प्रावधानों से अनौपचारिक सेक्टर को औपचारिक सेक्टर में व्यापार करने हेतु चैनलीकृत करने तथा ईपीआर व्यवस्था का लाभ उठाने में सुविधा होगी।

(च) : वर्तमान में, टेलीफोनों के लिए राष्ट्रव्यापी एकरूप चार्जिंग वायरों को लागू करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

****